SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No. 1027/22
Summary No. 466/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ----- अभियोगी
जिला मंदसौर मप्र।

बनाम

खुशालचन्द पिता नन्दा मीणा ------अभियुक्त
उम्र - 49 वर्ष नि - पिपलियाखेड़ी

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 19/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त खुशालचन्द पिता नन्दा मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी- पिपलियाखेड़ी के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हूं कि :-

01- आपने दिनांक 08/10/22 को समय 19:45 से 20:00 बजे के दरमियान मंदसौर पुलिस थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर क्षेत्र पंचायत भवन के पास कुंडी अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 16 ल्ली. देशी प्लेन / मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1-क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक:-

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि - अपराध स्वीकार है

खुशाल

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No ...1027/22
Summary No ..466/22

------- अभियोगी

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर म.प्र.।

बनाम

--------अभियुक्त

कुशाललाल पिता नन्दा भील उम्र - 49 वर्ष नि - चिताखेड़ी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक ....19/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों मे नशा करने की प्रवृत्तिया बढ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियां पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एव 500/- रूपये के अर्थदंण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही किये जाने की दशा मे अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

स्थान - नारायणगढ
दिनांक - 19/10/22

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मदसौर म. प्र.